भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 3924
(जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>**उचित व्यापार व्यवहार**</u>

3924. श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कंपनियों से उचित व्यापार व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनियों से अब तक क्या प्रतिक्रिया मिली है; और
(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ग) : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई है और इसे प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों, प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग आदि, जो अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता है, के मामलों में जांच करने तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। आयोग उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करता है।

*****